


16.8.24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 को जरिये नोट प्रेस इसी स्तर पर खारीज करने का निवेदन करने पर मूल वाद जरिये नोट प्रेस खारीज हो चुका है। अब इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

